संख्या-ए-2-87/दस-27-17(4)/75

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण),
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यय नियंत्रण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 1997

विषय:- प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-3220/दस-17(4)/75, दिनांक 1 अक्टूबर 1975 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-2201/दस-17(4)/75, दिनांक 13 जुलाई 1976 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिये, कार्य की लागत का 15 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) निर्धारित हैं। सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों से भी उनके द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कार्यों पर प्रतिशत प्रभार कार्य की कुल लागत में 5 प्रतिशत कमी करने के बाद उपलब्ध लागत का 15 प्रतिशत अनुमन्य किया जाता है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभाग से सम्बन्धित डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जाता है ।

2- शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रतिशत प्रभार अब कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे समस्त राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जाय। इस प्रतिशत प्रभार में 1 प्रतिशत आडिट एवं एकाउन्टस शुल्क सम्मिलित हैं, तथा इसका विभाजन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप से होगा :-

पूर्ण परियोजनाएं एवं ब्यौरेवार अनुमान .. 1.5 प्रतिशत
(प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित)
अधिष्ठान की मद में डाला जायेगा ।

.....2

कार्यों का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित .. 1. प्रतिशत

जिन मामलों में केवल प्रारम्भिक परियोजनाएं और अनुमानित प्राक्कलन बनाये जायें अधिष्ठान की मद में डाला जायेगा .. 1.0 प्रतिशत

3— सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/[illegible] शासकीय संस्थाओं द्वारा शासकीय कार्य डिपाजिट के रूप में किये जाने पर सेन्टेज उन्हें पूर्व की भांति कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा ।

4— ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। ऐसे आगणन जिनकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, पुनरीक्षित [illegible] नहीं होंगे परन्तु: यदि पुनरीक्षित आगणन जिनमें लागत में वृद्धि हो रही है, पुनः स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम अधिकारी को शासनादेश के निर्गमन की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं तो उन पर बढ़ी लागत की धनराशि पर प्रतिशत [illegible] इस शासनादेश में उल्लिखित दर पर अनुमन्य होगा। वित्तीय [illegible] [illegible] आवश्यक संशोधन [illegible] किये जायें।

5— [illegible] [illegible] [illegible] संशोधित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को अविलम्ब प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
सचिव
वित्त (व्यय नियंत्रण)

संख्या-ए-2-[illegible]/दस-97-तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— [illegible] [illegible] [illegible] एवं हकदारी [illegible], उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— [illegible] [illegible] एवं हकदारी [illegible], उ0प्र0, [illegible]।
3— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
4— सचिव, [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], उ0प्र0 [illegible]।
5— सचिव, [illegible] [illegible] [illegible] विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
7— [illegible] [illegible], उ0प्र0, लखनऊ।
8— निदेशक, [illegible] [illegible], उ0प्र0, इलाहाबाद।
9— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

आज्ञा से,

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

01

संख्या-3058/नौ-5-2004-145सा/2004

प्रेषक,

मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक:22 दिसम्बर,2004

विषयः- प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) चार्जेज की दर ।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) चार्जेज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है:

(1) केन्द्रीय योजनाओं में से गंगा कार्यकारी योजनाओं पर भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार 08 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य है। उक्त योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा 4.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य किया जाता है। इस प्रकार कुल 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य होगा।

(2) त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना हेतु वर्कचार्ज अधिष्ठान के लिये 5.0 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, के स्थान पर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-87/दस-97-17(4)/75, दिनांक 27.02.1997 के अनुसार उक्त योजनाओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य होगा।

(3) त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम हेतु 3.0 प्रतिशत वर्कचार्ज तथा 5.0 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, इस प्रकार कुल 08 प्रतिशत प्रभार के स्थान पर वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2 -1118/दस-99-17(4)/75, दिनांक 24.03.1999 के अनुसार उक्त योजनाओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जायेगा।

(4) शासनादेश संख्या-ए-2-1118/दस-99-17(4)/75, दिनांक 24.3.1999 के अनुसार पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं विधायक निधि पोषित योजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्य पर सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/ स्वायत्त शासी संस्थाओं को उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से अनुमन्य सेन्टेज चार्ज उक्त योजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्य पर उ0प्र0 जल निगम को भी अनुमन्य कराया गया है।

2- यह आदेश दिनांक:01.04.2004 से प्रभावी होंगे। उक्त निर्णय (ऑन गोइंग) योजनाओं पर भी प्रभावी होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1422/दस-04, दिनांक 20.12.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मोहिन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0शासन।
6- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त लेखा अनुभाग-2/वित्त (व्यय)नियंत्रण अनुभाग-8।
10- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मोहिन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: 11/पी-1/ वित्तीय प्रबन्धन /01 दिनांक: 12/01/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1/2), उत्तर प्रदेश जल निगम।
2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
3- समस्त अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम।

ह0 12/1/05

(एच0के0 श्रीवास्तव)
सचिव(व्यवस्था)